Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 18-05-2006
Participants : Azmi Shri Iliyas,Yadav Shri Devendra Prasad,Singh Shri Prabhunath,Barman Shri Hiten,Pal Shri Rupchand,Singh Shri Mohan,Mollah Shri Hannan,Mukherjee Shri Pranab,Mahtab Shri Bhartruhari,Bose Shri Subrata,Geete Shri Anant Gangaram,Barman Shri Basudeb,Suman Shri Ramji Lal,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Acharia Shri Basudeb

>

Title : Regarding Justice Mukherjee Commission of Inquiry report on the demise of Netaji Subash Chandra Bose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up the situation arising out of tabling of Justice Mukherjee Commission Inquiry Report on the demise of Netaji Subhash Chandra Bose. We will devote only fifteen minutes to it.

श्री रामजी लाल सुमन।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, kindly allow me for one minute to give certain information, through you, to the House.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया इंतजार कीजिए। श्री समुन जी आप एक मिनट बैठ जाइए।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, through you I would like to inform and request the House that to facilitate, as much as possible, the continuation of the Legislative Business before 2.00 p.m., let us not recess for the Lunch, of course, subject to the agreement of the House.

Secondly, with regard to Item No.22, where the Agriculture Minister was to reply to the debate today, I would like to inform the House that the Minister is pre-occupied in the same debate in Rajya Sabha. So, the reply will be given on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The reply will be on Monday and there will be no Lunch.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Lastly, if time permits, Item No.20 of today's List of Business can start before 2 o'clock. If time does not permit, it can start after the earlier item is over.

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : कृषि मंत्री जी का रिप्लाई कितने बजे होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिप्लाई सोमवार को होगा। The House has agreed to it.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी सुभाा चन्द्र बोस की मृत्यु के संबंध में जो भ्रांतियां थीं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात को संक्षिप्त में कहें क्योंकि और भी बहुत से सदस्य इस विाय पर बोलना चाहते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : देश और दुनिया यह जानना चाहती है कि उनकी मृत्यु की वास्तविकता क्या cè[R12]?

इसी के चलते 14 मई 1999 को जस्टिस मुखर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिस के सम्मुख पांच बिन्दु थे, जिन की जांच करनी थी - क्या नेताजी जीवित हैं या उनका निधन हो गया है, क्या उनकी मौत विमान दुर्घटना में हुई थी, क्या जापान के रेनकाजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं, क्या उनकी मौत किसी अन्य स्थान पर या अन्य ढंग से तो नहीं हुई है, नेताजी अगर जीवित हैं तो कहां हैं? इन पांच बिन्दुओं की उस कमीशन को जांच करनी थी। जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने इतने लंबे समय के बाद जो निर्का निकाले उसमें कहा गया कि नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में नहीं हुई है और जापान के रेनकाजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है। उनका ड्राइवर निजामुद्दीन का बयान आज अखबारों में छपा है। उसने कहा है कि उस हादसे के बाद नेताजी ने कहा था कि मैं उस विमान में सवार नहीं था और उसके बाद उसकी नेताजी से बातचीत भी हुई। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार ने सदन को विश्वास में लिए बगैर और बगैर तथ्यों की जानकारी के इस रिपोर्ट को तत्काल खारिज कर दिया। सदन जानना चाहता है कि वे क्या आधार थे, क्या कारण थे जिससे सरकार ने उस कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस विाय में पूरी चर्चा सदन में होनी चाहिए। बगैर तथ्यों और आधार के सरकार को क्या हक बनता है कि वह यह कहे कि इस कमीशन की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। जिस तरह की सरकार ने हरकत की है, हम चाहते हैं कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में डिसकस हो, विचार हो और सरकार वक्तव्य दे।

उपाध्यक्ष महोदयः जो मैम्बर्स एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपनी स्लिप भेज दें।

…(व्यवधान)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, I associate myself with this demand.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your point has already come on record.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I have given notice for a discussion under Rule 193 on this subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is under the consideration of the hon. Speaker.

… (*Interruptions*)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सरकार वह रिपोर्ट खारिज कर चुकी है। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ...*

उपाध्यक्ष महोदयः पहले मंत्री जी को सुन लीजिए। मैं उसके बाद आप सब को एक-दो मिनट बोलने का मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप पहले सुन लें कि मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, the Government has no objection to discuss this matter on the time permitted by the Speaker either in this Session or in the next Session, whichever time is convenient. We have no problem if a discussion is held.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions) ...*

उपाध्यक्ष महोदयः आपके लीडर बोल रहे हैं। आप बैठ जाइA[R13]।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri Malhotra.

(Interruptions) ...*

**उपाध्यक्ष महोदय : ** कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record.

*(Interruptions) **

---

*Not recorded

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यह मामला इतना गंभीर है। आपने कहा है की इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। हमें खुशी होगी अगर इसी सेशन में इस पर डिबेट होगी। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को इस तरह से रिजेक्ट कर देना...(व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Why did the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee visit Renkoji temple and pay tributes to the ashes?… (*Interruptions*). You come out with a truth and tell why did your former Prime Minister go there … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record except the speech of Shri Malhotra.

(Interruptions) ...*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः कांग्रेस पार्टी ने इस बात की ...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने सुभाचन्द्र बोस जी को कांग्रेस से निकाल दिया। He was expelled from the Congress Party. … (*Interruptions*)

**उपाध्यक्ष महोदय : ** प्रियरंजन दासमुंशी जी, रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनकी मौत पर, मृत्यु पर पर्दा पड़ा रहे, रहस्य बना रहे ...(व्यवधान) उनकी मृत्यु कैसे हुई? कहां हुई? क्यों हुई? इस वजह से इस पर डिबेट करनी चाहिए। यह शर्मनाक है और सुभाचन्द्र बोस जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ...*

---

*Not recorded

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसलिए जब तक इसके बारे में पूरी डिबेट न हो, कांग्रेस पार्टी का आज सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। सुभाचन्द्र बोस की मृत्यु पर पर्दा नहीं रहना चाहिए, इसका पता लगना चाहिए। रशियन आर्काइव्ज में जाना चाहिए और वहां जाकर इसका पता लगाना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record except the speech of Shri Malhotra.

(Interruptions)/ ...*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या रूस में उनको कैद किया गया था? ...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसमें पॉलिटिकल क्या बात है? रिपोर्ट पर बहस होगी। ये लोग क्या बात कह रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सब पार्टियां कह रही हैं।...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बहस की बात तो ठीक है, हमने कहा है बहस करेंगे।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Dasmunsi, at least you should address the Chair.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I just wanted to say that we have no problem in having a discussion.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या उन्हें हिंदुस्तान में नहीं आने दिया गया? क्या वे रशिया में नजरबंद थे? क्या उनके बारे में रशियन आर्काइव्स में रहस्य हैं? यह सब पता लगना चाहिए। यह गलत बात है, आपत्तिजनक है, हम इसकी निंदा करते हैं। यह यू.पी.ए. सरकार के लिए निहायत निंदनीय बात है। इसे एक्सटेंड करके इसके पूरे तथ्य सामने आने चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी, कम से कम आप चेयर की रिस्पेक्ट करें और पूछ कर बोलें।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे सवा दो मिनट का समय दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनका नाम भी इसमें है और आपका नाम भी इसमें है। यहां ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं सबको एक साथ बुला लूं।

...(व्यवधान)

*Not recorded

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, if my name is not there, I will not speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your name is there in the list.

… (*Interruptions*[v14])

MR. DEPUTY-SPEAKER: Can I call all the people at the same time? Your name is there.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपका नाम इसमें लिखा हुआ है, फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह आप हाउस का समय वेस्ट करेंगे। आपका नाम इसमें है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को एक वक्त में नहीं बुला सकता हूं।

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I would like to submit that if the hon. Members are interested we are ready to have discussion right now. You can have the full discussion, instead of making these types of off the cuff comments. Let there be a structured discussion if the hon. Members wants to have a discussion to take place, even today… (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB: Sir, I have given a notice to the hon. Speaker… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास काफी बिजनेस है, इसके लिए फिर कोई समय रख लेंगे।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, if the House so desires, then all the other business can be deferred and you can start the discussion… (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : आपको डिस्कशन रखना है तो रखिये, लेकिन बहस किस पर करेंगे, आपने उसे रिजैक्ट कर दिया है।...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : लेकिन आप बहस किस पर करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसका मतलब है कि आप इस पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, when this Commission was established, the Government itself had rejected the two earlier Commissions, namely the Shahnawaz Commission and the Khosla Commission and that is why this

Commission was established. There are umpteen number of cases where the reports of the Commissions have been rejected by the Government. Here is nothing new. All these points will come for discussion. I would like to most respectfully submit that we will like to have a structured discussion. Please have a structured discussion… (*Interruptions*)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY: That was done at the instance of a decision of the Calcutta High Court … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Shri Tripathi, you may be a very knowledgeable Member, but you do not know many facts… (*Interruptions*) Sir, most respectfully I would say that let them make their submissions and view points in a structured manner and then let the Government respond. That is the way the Parliament can function. Let them not just get up and make a comment and then run away… (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : Nobody is running away from the discussion. We have also asked for a structured debate… (*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह चर्चा अचानक चल पड़ी। आज के अखबारों में छपा है कि नेताजी के विाय में जो मुखर्जी रिपोर्ट आई है, सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया। श्री रामजीलाल सुमन ने इस पर कार्य स्थगन का नोटिस दिया था और हमने भी इसी सवाल पर नोटिस दिया था। नेता जी और उनके कार्यों के विाय में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। नेताजी का नाम सुनकर सारा देश नतमस्तक हो जाता है। नेताजी जैसा व्यक्ति, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व की बदौलत आज आप उस आसन पर बैठे हैं और हम यहां खड़े हैं। पूरा सदन उन्हीं लोगों की बदौलत आज यहां बैठा हुआ है। उनकी मृत्यु किस ढंग से हुई, यह बात आजादी के इतने वर्षों के बाद भी एक रहस्य का विाय बनी रही। इसकी जांच करने के लिए कमीशन बने। आज तक हम लोगों को जो जानकारियां मिलीं, उनके अनुसार नेताजी हैलिकॉप्टर से जा रहे थे, उसकी दुर्घटना हो गई, उनके अ वशेा वहां रखे हुए हैं। आज यह रिपोर्ट सारे तथ्यों को सामने लाई है कि वह सत्य नहीं है, वह असत्य है। नेताजी की दुर्घटना नहीं हुई थी। कई पत्रिकाओं और अखबारों में चर्चा चली कि गुमनामी बाबा के नाम से नेताजी जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में कही रहते हैं। यह चर्चा बराबर अखबारों में चलती रही। लेकिन आज तक यह तथ्य सामने नहीं आ सका कि क्या नेताजी जिंदा है या वह मर गये। अगर नेताजी मरे थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? इस तरह से सदन के पटल पर रिपोर्ट रखे बिना उसे अस्वीकृत कर देना एक संशय पैदा करता है। हम सरकार से कहेंगे कि आप रिपोर्ट सदन के पटल पर रखिये और इस पर विस्तार से बहस कराइये। यदि इससे आप भागते हैं तो निश्चित तौर पर एक संशय बना रहेगा, यही हम आपसे कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में प्रोपर नोटिस दें, उसके ऊपर स्पीकर साहब फैसला लेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, क्या अब मैं अपनी बात समाप्त करूं?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट आ गया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं आपको धन्यवाद देकर बैठ जाता cÚÆ[R15]।

SHRI B. MAHTAB: Sir, the very purpose of raising this issue during Special Mentions, after the Question Hour, is to draw the attention of the House to this serious emotive issue. This issue has already been raised. I need not go into the details of the Report of the Mukherjee Commission. But I want to make it very clear that this Commission was established only by the then NDA Government because of the direction of the Kolkata High Court and after the unanimous Resolution passed in the West Bengal Legislative Assembly. It had a special mandate to go into the details of the disappearance. The Commission has also, in its three volume Report, stated that Netaji is no more. How have they come to the conclusion is a debatable point which we would like to discuss. I should tell you why should we discuss it.

The issue is that the Commission was not allowed to go into the archives of the Russian Government. It did not get that much support of the Japanese Government and this is the only Commission which went to the Formosa

Island, Taipei where the air crash had supposedly occurred. The Shahnawaz Khan Committee was appointed. But it did not give a unanimous report. Shri Suresh Bose was also a member of that Committee. He had given a dissenting note. But the general impression is that, since 1956, it was a unanimous report. Of course, G.D Khosla Commission also gave a unanimous Report and had given its conclusive findings. The Government should come out with the details. Just saying that they did not accept the version of Mukherjee Commission does not suffice. Rather it creates more confusion. That is the main reason as to why we want a structured discussion. I have given notice so that we can have a structured discussion on this issue. We have hardly three to four days before the Session to conclude. The P.A. Minister is here. We should have a structured debate in this Session itself. Otherwise, we can defer it to the Monsoon Session.

SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT): Sir, I thank you for allotting some time for the hon. Members to raise this matter at this time. I would like to thank hon. Member, Shri Suman and Prof. Malhotra for raising this matter. I think hon. Members from all sides of the House will wholeheartedly support me in their action on this issue.

Sir, the Mukherjee Commission has reached two very conclusive findings in the Report which have been submitted and detailed reasons for reaching those conclusions have been explained in the Report given by the Mukherjee Commission. The Government had taken more than six months to study the Report and give their Action Taken Report. The Action Taken Report .on this very important issue is merely of one page and there is only one sentence which really causes concern. The Government have in a cryptic manner said that it does not agree with the findings of the Commission that Netaji did not die in the air crash and the ashes kept at Renkoji temple in Japan do not belong to Netaji. The Government has not given any reasons. Today, the Government, in a cryptic note, has given its views. They did not even think it was necessary to give enough time and thought in this very imporatnat matter.

I think, in a matter like this, the Government should have allotted time on their own for a detailed discussion on the subject.

I crave your indulgence, Sir, in saying a few more words on this issue. I happen to be a member of Netaji's family. Netaji is my uncle. But I know that Netaji does not belong to one family. He belongs to the whole of India. Whether he is physically alive or dead today does not matter. But he lives in the heart of every Indian today and it is, therefore, incumbent on this House to have a detailed discussion on this issue. Respected Mr. Deputy-Speaker Sir, you are the Presiding Officer today. You may ensure that a very detailed discussion takes place in this Session itself.

Sir, the hon. Leader of the House for whom I have great personal regard has very kindly said that he does not mind to have a discussion right now but it is not found in the List of Business for today. So, we have not come prepared for a detailed discussion. I would like to humbly submit that a full day's discussion should be allowed on this issue. If necessary, the Session should be extended by one day to have a full day's discussion on the subject.

The situation has been created by the Government itself because as per the statutory provision of the Commission of Inquiry Act, this Report and the Action Taken Report should have been placed before the House on 11th May itself. It was not done. So, it is the Government which has created this situation.

Therefore, I hope that hon. Members from all sides of the House will agree with me wholeheartedly for a full day's discussion on this matter in this Session itself and if necessary, to extend the Session by a day[bru16] for this purpose.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि हमारे इतिहास के सब से बड़े आजादी के निर्विवाद नेता नेताजी सुभाा चन्द्र बोस के बारे में पिछले 60 साल से भारत, पाकिस्तान और बंगला देश की जनता में 100 फीसदी तरह-तरह की बातें फैलती रही हैं। हमारी सरकार ने बाकायदा इस मामले की कोई इंक्वायरी नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान की सब से बड़ी पत्रिका 'उर्दू डाइजैस्ट' में मैंने एक लेख पढ़ा था जो आजाद हिन्द फौज के एक मेजर जनरल, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे और यहा आये थे, उन्होंने लिखा था कि जब वह देहरादून एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उनकी नजर फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी हिन्दू साधु के वेश में सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, साफ-सुथरा आदमी, जिसके बाल संवरे हुये थे, बिखरे हुये नहीं थे, जिसे मैंने पहचान लिया। क्योंकि मैं वर्षों तक उनके साथ रहा था। मैं फौरन ट्रेन से उतरा, उनकी तरफ बढ़ा ही था कि उनकी नजर मुझे पर पड़ी और वह तुरंत स्टेशन से बाहर निकल गया। मैं जैसे ही उसके पीछे स्टेशन से बाहर जाने के लिये भागा, उसी वक्त गाड़ी ने सीटी दे दी और मैं भागकर फिर से गाड़ी पर चढ़ गया। आगे लिखता है कि वह गारंटी के साथ कह सकता है कि वह साधु नेताजी ही थे। लेकिन इतना सब मालूम होते हुये भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके कुछ समय बाद मैंने लखनऊ में एक अखबार में पढ़ा कि एक गुमनामी बाबा जिनका रात में देहान्त हो गया, वह और कोई नहीं, नेताजी सुभाा चन्द्र बोस ही थे। मैंने उस वक्त इस खबर को कोई अहमियत नहीं दी कि आखिर नेता जी को आजाद हिन्दुस्तान में छिपने की क्या जरूरत है? हिन्दुस्तान की जनता उन्हें सिर-आंखों पर बैठाने के लिये तैयार है। लोगों ने कहा कि हमारी सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है कि जंगे-आजादी के मुजरिमों को जंगी मुजरिम घोाित किया गया है और उन्हें पकड़कर ब्रिटिश सरकार के हवाले करना होगा। इसलिये नेता जी भारत में रहते हुये भी छिपकर रह रहे lÉä[RB17]।

यह मामूली बात नहीं है। ऐसा एक ही आदमी था जिसका नाम सुभाा चन्द्र बोस था, जो हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंग्लादेश की सौ प्रतिशत जनता का आज भी निर्विवाद नेता है, कोई दूसरा निर्विवाद नेता नहीं है। उनके संबंध में आई रिपोर्ट को इस तरह से खारिज करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आज़ादी के इतिहास के महानायक नेताजी सुभाचन्द्र बोस की मृत्यु के संदर्भ में कई वर्षों से चर्चा चली आ रही है। देश वास्तविकता को जानना चाहता है। अखबारों में बार-बार खबरें आती रही हैं। कभी आया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, कई बार खबरें आईं कि वे जीवित हैं जिसकी चर्चा अब भी यहां पर हो रही थी। इन सारे तथ्यों को जानने के लिए जो कमीशन गठित किया गया, उस मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार को उस रिपोर्ट को खारिज करने से पहले कम से कम देश के सामने उन कारणों को तो रखना आवश्यक था कि किन कारणों से इस रिपोर्ट को खारिज किया जा रहा है। सरकार ने वह भी नहीं चाहा और आज जब खबर आई, तो स्वाभाविक है कि केवल संसद में नहीं, सारे देश में इस विाय पर उत्तेजना है, आम जनता में इस विाय पर उत्तेजना है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और उस रिपोर्ट को सदन के सामने पेश किया जाना चाहिए।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी है कि जब कोई न्यायिक जांच आयोग बैठता है तो उसकी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करने के साथ ही सरकार अपना मंतव्य भी प्रकट करती है। सरकार ने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया जिस पर हम लोगों को घोर आपत्ति है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के मंतव्य व्यक्त करने से देश भर में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरकार के खिलाफ एक वातावरण आम जनता में तैयार हो गया है। मैंने नोटिस दिया है कि नियम 193 के अधीन इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाए जिससे सरकार अपनी सफाई सदन के सामने दे सके, अन्यथा इस सरकार के बारे में लोगों की आम राय बुरी तरह से प्रभावित हुई है और लोग गुस्से में हैं। इसलिए, जनता के गुस्से को शांत करने के लिए सदन अपनी राय इस रिपोर्ट पर दे, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The names of Prof. Basudeb Barman and Shri Hiten Barman are also associated with this matter.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Before I take up my subject, I associate myself fully with the demand made by our esteemed colleague, Shri Subrata Bose and by others.

What I want to say is that as a result of the various developments, schemes and projects… (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : अभी इस विाय पर ही बोलिये। …(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

SHRI RUPCHAND PAL: I am making a demand that a full-fledged debate under rule 193 be made. I fully associate with the demand made by all sections of this House and the demand made by Shri Subrata Bose and others.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, I agree with him.

SHRI RUPCHAND PAL: Sir, I am on a very important issue, I believe. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. दूसरा विाय बाद में लेंगे।

SHRI RUPCHAND PAL : Okay, Sir.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कतिपय माननीय नेताओं ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा करने के संबंध में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। यह और आवश्यक हो गया है क्योंकि आज की इस चर्चा में मुखर्जी कमीशन के संदर्भ में जो बातें आई हैं, उससे करोड़ों लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। लोग तथ्यों को जानना चाहते हैं। इस संबंध में संशय की स्थिति बनाकर करोड़ों लोगों को अंधकार में रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस पर एक चर्चा अत्यंत अनिवार्य हो गई cè[h18]।

इसलिए इस पर ब्यौरेवार चर्चा कराई जाए, वह चाहे नियम 193 के तहत हो। इस पर डिबेट एवं डिसकशन होना जरूरी है, हम इसके हक में हैं ताकि लोगों को सही तथ्यों का पता चल सके और लोगों का जो संशय है, वह दूर हो सके, यह आवश्यक हो गया है।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप भी इसी विाय पर बोलना चाहते हैं या किसी अन्य विाय पर बोलना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुखर्जी कमीशन पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर रूपचंद पाल जी बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं भी उसी पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप भी बोलिए। You are the most senior hon. Member.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, Mukherjee Commission was appointed five or six years back. That Commission took at least five or six years to submit a report. They visited a number of countries and places. They presented the report to the Government but what we have seen yesterday, the report of the Mukherjee Commission and Action Taken Report both were placed before the House. What we have seen that Government has rejected the recommendations of Mukherjee Commission. Sir, we are disappointed. So, there is a need for a full-fledged discussion in this House. Tomorrow is Friday and then Monday and Tuesday, and then the House will be adjourned on 23rd May.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will decide that.

SHRI BASU DEB ACHARIA: I demand that if it is possible, within these two days, a full day discussion may be allowed. You may take it up on Monday itself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will decide it tomorrow. We will decide it in the Leaders' Meeting.

SHRI BASU DEB ACHARIA: You decide it tomorrow and it should be discussed under Rule 193 and enough time should be given. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will be decided in the Leaders' Meeting.